

न्यायालय :-संजीव कटारे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला-बालाघाट

// विविध आदेश //

क्रमांक- /मु.न्या.मजि./2023

बालाघाट, दिनांक 29/11/2023

माह दिसम्बर, 2023 के सार्वजनिक अवकाश दिवसों में दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक रिमांड कार्य का निष्पादन कॉलम नंबर 2 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण द्वारा किया जावेगा तथा उनके अनुपस्थित या अवकाश पर रहने पर कॉलम नंबर 4 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है :-

क्र.	रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट का नाम	सार्वजनिक अवकाश/रिमांड ड्यूटी की तिथि	वैकल्पिक व्यवस्था में रिमांड करने वाले मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3	4
बालाघाट मुख्यालय			
1	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा, Jmfc.Bgt.	03 दिसम्बर 2023	श्री विकास विश्वकर्मा, Jmfc.Bgt.
2	श्री विकास विश्वकर्मा, Jmfc.Bgt.	10 दिसम्बर 2023	श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा, Jmfc.Bgt.
3	श्री दयालसिंह सूर्यवंशी Jmfc.Bgt.	25 दिसम्बर 2023	सुश्री तारा मार्को, Jmfc.Bgt.
4	श्री भुपेन्द्रसिंह, Jmfc.Bgt.	17 दिसम्बर 2023	श्री दयालसिंह, Jmfc.Bgt.
5	सुश्री तारा मार्को, Jmfc.Bgt.	24 एवं 31 दिसम्बर 2023	श्री भुपेन्द्र सिंह, Jmfc.Bgt.
तहसील वारासिवनी			
1	श्री चैतन्य अनुभव चौबे Jmfc.Waraseoni	10 दिसम्बर 2023	श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे, Jmfc.Waraseoni
2	श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे Jmfc.Waraseoni	03 दिसम्बर 2023	श्री चैतन्य अनुभव चौबे, Jmfc.Waraseoni
3	श्री शैलेन्द्र रैकवार Jmfc.Waraseoni	17 एवं 31 दिसम्बर 2023	श्री रौनक पाटीदार, Jmfc.Waraseoni
4	श्री रौनक पाटीदार Jmfc.Waraseoni	24 एवं 25 दिसम्बर 2023	श्री शैलेन्द्र रैकवार, Jmfc.Waraseoni
तहसील बैहर			
1	श्री अनुराग खरे, Jmfc.Baihar.	24 एवं 25 दिसम्बर 2023	सुश्री कीर्ति उर्डके Jmfc.Baihar.
2	सुश्री कीर्ति उर्डके, Jmfc.Baihar.	03 एवं 17 दिसम्बर 2023	श्री कृष्णकांत बांगरे, Jmfc.Baihar.
3	श्री कृष्णकांत बांगरे, Jmfc.Baihar.	10 एवं 31 दिसम्बर 2023	श्री अनुराग खरे, Jmfc.Baihar.
तहसील कटंगी			
1	सुश्री सुधा पाण्डे Jmfc.Katangi	03, 10 एवं 17 दिसम्बर 2023	श्रीमती नेहा ठाकुर, Jmfc.Katangi

2	श्रीमती नेहा ठाकुर, Jmfc.Katangi	24, 25 एवं 31 दिसम्बर 2023	सुश्री सुधा पाण्डे Jmfc.Katangi
तहसील लांजी			
1	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी, Jmfc.Lanji	03, 10, 17, 24, 25 एवं 31 दिसम्बर 2023	मुख्यालय बालाघाट में रिमांड में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट।

नोट:-

01. किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का स्थानांतरण/अवकाश में होने पर उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी कार्य-विभाजन पत्रक के परिशिष्ट-ब के अनुसार इंचार्ज मजिस्ट्रेट के द्वारा सम्पादित की जायेगी।

02. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 में दर्शित बिन्दु क्रमांक-(द) छुट्टियों के दिनों में रिमाण्ड कार्य के संबंध में, के निर्देश के पालन में श्रीमती शिखा शर्मा, न्यायमजिष्ठिश्रेणी, बालाघाट सुविधानुसार अवकाश तिथियों पर न्यायालय में रिमाण्ड ड्यूटी पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ रिमाण्ड कार्य का प्रशिक्षण लेने हेतु उपस्थित रहेंगी।

03. यदि किसी कारणवश माह दिसम्बर, 2023 में नियत अवकाश के अलावा अन्य कोई सार्वजनिक/स्थानीय अवकाश घोषित होता है, तो उक्त घोषित अवकाश तिथि को बालाघाट मुख्यालय का रिमाण्ड कार्य श्री भुपेन्द्रसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट, तहसील मुख्यालय वारासिवनी का रिमांड कार्य श्री रौनक पाटीदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वारासिवनी, तहसील मुख्यालय बैहर का रिमांड कार्य सुश्री कीर्ति उडुके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, तहसील मुख्यालय कटंगी का रिमांड कार्य श्रीमती नेहा ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटंगी एवं श्री धर्मेन्द्र नागवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा निष्पादित किया जावेगा।

04. यदि किसी कारणवश माह दिसम्बर, 2023 में नियत अवकाश पर लांजी में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवश्यक कार्य आ जाने से वे माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति उपरांत मुख्यालय से बाहर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में तहसील मुख्यालय लांजी का रिमाण्ड कार्य बालाघाट मुख्यालय में रिमांड कार्य संपादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जावेगा।

05. यदि किसी कारणवश माह दिसम्बर, 2023 में किशोर न्याय बोर्ड बालाघाट के प्रधान मजिस्ट्रेट एवं दोनों सदस्य अवकाश के दिन मुख्यालय से बाहर रहते हैं तो किशोर न्याय बोर्ड बालाघाट से संबंधित रिमाण्ड कार्य बालाघाट मुख्यालय में रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित किया जावेगा।

06. यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमांड ड्यूटी सार्वजनिक अवकाश के दौरान लगाई गई है और उन्हें उक्त अवकाश दिवस में आवश्यक कार्य आ जाने से अवकाश के दौरान मुख्यालय के बाहर जाना है तो ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय से बाहर जाने के पूर्व उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित सहमति अपने अवकाश आवेदन पत्र में लिखाये जाने के पश्चात् ही अपना आवेदन पत्र प्रेषित कर स्वीकृत होने के उपरांत ही मुख्यालय से बाहर जाएंगे।

सही /-

(संजीव कटारे)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालाघाट

प्रतिलिपि:-

- 1- कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2- समस्त न्या.मजि.प्र.व द्वि.श्रे. एवं अधिवक्ता संघ, बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी की ओर व्हाट्स-अप एवं ई-मेल द्वारा सूचनार्थ प्रेषित।

सही /-

(संजीव कटारे)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालाघाट(म0प्र0)